उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, रायपुर, देहरादून
दूरभाष 0135-2781942
Website: http://ssa.uk.gov.in, E-mail - spd-ssa-uk@.nic.in
Toll Free Number:- 1800-180-4132

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

पत्रांक : रा0प0का0/ 1653 /प्रशा0नीलामी/2025–26 दिनांक 20 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 नवम्बर, 2025 को अपराह्न 03 बजे राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड में निष्प्रयोज्य सामग्रियों के नीलामी की कार्यवाही राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड के माध्यम से गठित समिति के माध्यम से की जायेगी।

1. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड के नाम से रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 22 नवम्बर, 2025 को अपराह्न 04:30 बजे तक राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड में जमा किया जाना होगा। निर्धारित समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. e-Waste सामग्रियों की नीलामी ई–वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 में वर्णित प्राविधानानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण बोर्ड देहरादून अथवा देश के अन्य राज्यों में पंजीकृत ई–वेस्ट Dismantler या Recyeler के माध्यम से की जायेगी।
3. नीलामी की विस्तृत शर्तें, आवेदन पत्र आदि समग्र शिक्षा की वेबसाईट http://ssa.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(दीप्ति सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ0सं0 रा0प0का0/ 1653 /प्रशा0विज्ञप्ति/2025–26 दिनांकित।
प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक, 'दैनिक भास्कर', एवं 'हिन्दुस्तान' को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 20 नवम्बर, 2025 के जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाले संस्करणों में न्यूनतम पठनीय स्पेस में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड को इस निर्देश कि साथ कि नीलामी की विस्तृत शर्तें, आवेदन पत्र आदि समग्र शिक्षा की वेबसाईट http://ssa.uk.gov.in पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

20/11/2025
(डॉ0 मुकुल कुमार सती,
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

DIC

निष्प्रयोज्य एवं ई–वेस्ट सामग्रियों की नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

नीलामी हेतु बोलीदाताओं पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें प्रतिपादित होंगीं तथा उनकी पुष्टि में नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किये जाने से सम्बन्धित अभिलेखों के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. निष्प्रयोज्य सामग्री एवं निष्प्रयोज्य ई–वेस्ट सामग्रियों की नीलामी जहाँ हैं, जैसी स्थिति में हैं, के आधार पर पृथक–पृथक की जायेंगीं, जिसके लिए किसी भी प्रतिभागी को सामग्रियों की सूची अथवा अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
2. निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी दिनांक 25 नवम्बर, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड में आहूत की जायेगी।
3. ई–वेस्ट सामग्रियों की नीलामी हेतु केवल वही फर्म्स अर्ह होंगीं, जो कि ई–वेस्ट हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत होंगी। निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट, आधार कार्ड, फर्म का जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र तथा ई वेस्ट हेतु प्रमााण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित अभिलेख जमा किये जाने होंगें। अभिलेखों का सत्यापन व आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचनायें सही पाये जाने पर ही फर्म/बोलीदाता को नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किए जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
6. सामग्रियों की नीलामी खुली बोली के आधार पर की जायेगी।
7. नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बोलीदाताओं द्वारा नीलामी तिथि से 02 कार्यदिवस पूर्व कार्यालय समयावधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित होकर निष्प्रयोज्य सामग्रियों का अवलोकन किया जा सकता है। बोली लगाये जाने के पश्चात सामग्रियों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा अथवा शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. सभी इच्छुक प्रतिभागियों को बोली लगाने से पूर्व रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र समिति को उपलब्ध कराना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा "यह कि मैंने सामान को देख लिया है और सामग्री के सम्बन्ध में अब मुझे कोई सन्देह नहीं

है। सामान देखने एवं उसका भली–भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही मैं स्वेच्छा से और सोच समझकर नीलामी में प्रतिभाग कर रहा हूँ।"

9. उच्चतर बोलीदाता को नीलामी मूल्य के 50 प्रतिशत की धनराशि (सुरक्षा धनराशि को सम्मिलित करते हुए) को उसी दिन कार्यालय में जमा की जानी होगी तथा अवशेष धनराशि को 03 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करते हुए, निष्प्रयोज्य सामग्रियों का उठान किया जाना होगा।
10. नीलामी धनराशि एवं जी0एस0टी0 धनराशि को निर्धारित समय पर कार्यालय में जमा न किए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें फर्म की अग्रिम भुगतान समस्त धनराशि को जब्त कर फर्म को ब्लैक लिस्टेड़ कर दिया जायेगा।
11. बोली की धनराशि को स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
12. नीलामी धनराशि एवं जी0एस0टी0 धनराशि को निर्धारित समय पर कार्यालय में जमा न किए जाने की स्थिति में बिन्दु संख्या 10 के अनुसार कार्यवाही के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई दावा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा एवं तथा ना ही कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में कोई विचार किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्रतिभागी की होगी।
13. नीलामी से पूर्व शासकीय नियमों में कोई परिवर्तन होता है तो तद्नुसार संशोधन माना जायेगा।
14. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी हेतु बोली लगाने के लिए राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड के नाम से ई–वेस्ट सामग्रियों हेतु रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) एवं अन्य निष्प्रयोज्य सामग्रियों हेतु रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा धनराशि के रूप में पृथक–पृथक राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड में जमा किया जाना होगा।
15. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र, घोषणा पत्र भरकर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड के नाम से उक्त धनराशि के बैंक ड्राफ्ट सहित दिनांक 22 नवम्बर, 2025 को समय अपराह्न 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा किया जाना होगा। निर्धारित समय के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. बोलीदाता फर्म को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ई–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016, दिनांक 23 मार्च, 2016 के

अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य अथवा अन्य राज्यों के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत e-Waste Recycler के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, जो कि नीलामी अवधि के दौरान वैध होना अनिवार्य है।

17. ई–अपशिष्ट के सम्बन्ध में जो भी प्रचलित नियम हैं, उनके अनुपालन किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित e-Waste Recycler के रूप में पंजीकृत फर्म का रहेगा। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. नीलामी के दौरान उपस्थित अधिकारी उच्चतम या किसी भी प्रकार की बोली को स्वीकार करने के बाध्य नहीं होंगें। बोली लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों अथवा गलत इरादे से बोली लगाने वालों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
19. नीलामी करने वाले अधिकारी द्वारा किसी भी बोली की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन होगी।
20. बोली लगाने वाले व्यक्तियों को उनकी बोली पर ही रखा जायेगा चाहे वह उच्चतम हो अथवा नहीं।
21. किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक की उसका सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म द्वारा लिखित वैधानिक प्राधिकार पत्र न दिया गया हो।
22. सामग्री को वहीं विक्रय किया जायेगा जहाँ पर वह उपलब्ध है। सभी सामग्रियों को नीलाम किए गए स्थान से ही बोलीदाता को उठाना होगा। सामग्री पर किसी भी प्रकार की वारण्टी अथवा गारण्टी निहित नहीं होगी। सामग्री को इस धारण से विक्रय/नीलाम किया जायेगा कि बोलीदाताओं द्वारा सामग्रियों का निरीक्षण कर लिया गया है और जानते हैं कि वे क्या खरीद रहे हैं।
23. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड को बिना कारण बताए सामग्रियों के नीलामी को निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
24. जिन बोलीदाताओं की बोली स्वीकार नहीं होती, उनके द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड में बयाना धनराशि के रूप में जमा रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) के बैंक ड्राफ्ट को बोली समाप्त होने पर उन्हें अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा उच्चतम बोलीदाता की बयाना धनराशि को सामान की बोली हेतु लगाई गई समस्त धनराशि जमा करने तथा सामान उठाने पर सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी।
25. बोलीदाता के पक्ष में नीलामी Award होने पर 25 प्रतिशत धनराशि का तत्काल भुगतान करना होगा। शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्तर्गत जमा करने के

पश्चात ही बोलीदाता को सामग्रियों को उठाये जाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी। अन्यथा बोली निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

26. सामग्रियों को सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में उठवाया जायेगा तथा अन्तिम भुगतान करने पर उसी दिन सामग्रियों को उठवाया जाना होगा।

27. नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों को सही पाये जाने पर फर्म/बोलीदाताओं को एक टोकन निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर ही वे नीलामी में प्रतिभाग कर सकेंगें।

10/1/2025

(डॉ0 मुकुल कुमार सती),
अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड

नीलामी हेतु आवेदन–पत्र

1. बोलीदाता का नाम .....
2. पता .....
3. मोबाइल नम्बर .....
4. पहचान पत्र का विवरण .....
5. फर्म का नाम .....
6. फर्म के स्वामी/स्वामियों का नाम .....

   .....
7. फर्म का पता.....
8. फर्म का दूरभाष नम्बर.....
9. फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
10. फर्म का जीएसटी नम्बर.....
11. पैन कार्ड नम्बर.....
12. उत्तराखण्ड अथवा अथवा अन्य राज्य के प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्गत e-Waste Recycler प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या एवं वैधता तिथि .....

    .....
13. जमानत धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट संख्या, तिथि, धनराशि) .....

    .....
14. आवेदन पत्र के साथ कुल संलग्नकों की संख्या एवं विवरण.....

    .....

    .....

    .....

घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र श्री .....
.....सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराई गयी समस्त सूचनायें पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई भी सूचना जो नीलामी की शर्तों के अनुरूप दी जानी थीं, छिपाई नहीं गई हैं। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पाई जाती है तो उसके लिए मैं पूर्ण उत्तरदायी रहूँगा। नीलामी में भाग लेने के लिए मैं कोई भी अयोग्यता नहीं रखता हूँ। मेरे द्वारा नीलामी की समस्त नियम एवं शर्तें पढ़ ली गई हैं तथा मैं इन नियम एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ। साथ ही मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं/मेरी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने सामग्रियों का अवलोकन कर लिया है तथा सामग्रियों के सम्बन्ध में मुझे कोई भी सन्देह नहीं है। सामग्रियों को देखने एवं भली भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही मैं स्वेच्छा से सोच समझकर नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहा/रही हूँ।

नाम .....

फर्म का नाम .....

फर्म के स्वामी/स्वामियों के हस्ताक्षर (मोहर सहित)